

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 765

दिनांक 11/04/2022

प्रार्थीगण :-

1.अमोलखराम 2.पनाराम 3.दयाराम 4.शेम्भूराम  
5.ताराराम पि.आलाराम, जातियान मेघवाल,  
निवासी देवाणियों का तला  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.नवलाराम 2.प्रेमाराम 3.गोरखाराम पि.जगमालाराम  
4.मथरीदेवी पत्नि जगमालाराम 5.नेताराम  
6 खरथाराम पि.केशराराम, जति भील 7.गोमाराम  
8.निम्बाराम पि.चौखाराम 9.डालूराम पुत्र वागाराम  
10.धीराराम पुत्र पेमाराम 11.मगाराम पुत्र दूदाराम  
12.रूखमणाराम पुत्र मोटाराम 13.मोटाराम पुत्र  
भोमाराम 14.तगाराम 15.ठाकराराम पि.दूदाराम,  
जातियान जाट, निवासी देवाणियों का तला,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 163/2021

दिनांक : 05.04.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र कापराऊ के मौजा देवाणियों का तला के खेत खसरा सं. 366 रकबा 75.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 766 to 769

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण अमोलखराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण नवलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

11/04/2022



उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन